

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना का नाम:

जनपद नैनीताल में ओखलढूंगा-कुनखेत मोटर मार्ग – 1.935 है० आरक्षित वन भूमि हस्तांतरण (FP/UK/ROAD/8796/2014)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु रामनगर वन प्रभाग में कुनखेत पूर्वी ब्लॉक के 1.935 है० आरक्षित वन भूमि का हस्तांतरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मार्ग निर्माण पूर्व स्थित पैदल मार्ग के समरेखन में बनाने का प्रस्ताव है जिसमें आरक्षित वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, रामनगर वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त ने भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से ओखलढूंगा गाँव की रामनगर की दूरी काफी कम हो जाएगी जिससे रामनगर वन प्रभाग के शेष क्षेत्रों में वाहनों का आवागमन कम होगी तथा यह मार्ग कोसी नदी के किनारे गश्त करने हेतु उपयोगी हो सकता है। अतः जनहित में उपरोक्त वन भूमि हस्तांतरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस०लेफ्टा भा.व.से)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण

एवं

नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

सरकारी मोहर:

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

तिथि : 4 / 03 / 2015

स्थान: देहरादून